भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

केंद्र सरकार ने भारत आने वाले अनिवासी व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206ग(1छ) के तहत टीसीएस के प्रावधानों में ढील दी है।

आयकर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") की धारा 206ग (1छ) विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज के विक्रेता द्वारा खरीदार से, पैकेज की राशि के 5% की दर से, ऐसे पैकेज को खरीदने वाला व्यक्ति होने पर, कर के संग्रह का प्रावधान करती है।

घरेलू टूर ऑपरेटरों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिन्हें भारत आने वाले अनिवासी व्यक्तियों से कर संग्रहण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जो ऐसे घरेलू टूर ऑपरेटरों से विदेशी टूर पैकेज बुक कर रहे थे। चूंकि ऐसे व्यक्तियों के पास पैन नहीं हो सकता है, इसलिए ऊंची दर पर कर वसूलना आवश्यक है। इसके अलावा, ऐसे गैर-निवासियों को अपना आईटीआर प्रस्तुत करने और प्रतिदाय का दावा करने में कठिनाई हो सकती है।

ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए, केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 206ग(1छ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्दिष्ट किया है कि उक्त धारा के प्रावधान ऐसे खरीदार पर लागू नहीं होंगे जो अधिनियम की धारा 6 के खंड (1) और खंड (1क) के अनुसार भारत का निवासी नहीं है और जो भारत का दौरा कर रहा है। इसलिए, घरेलू टूर प्रचालक को भारत आने वाले अनिवासी व्यक्तियों को विदेशी टूर पैकेज की बिक्री पर कर एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।

अधिसूचना संख्या 20/2022 दिनांक 30.03.2022 भी जारी कर दी गई है और यह अधिसूचना अनुभाग के अंतर्गत www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।

(सुरभि अहलूवालिया)
आयकर आयुक्त
(मीडिया एवं तकनीकी नीति)
आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी